दिनांक 22/7/24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित. वीप्रार्थीगण को जवाब पेश करने के अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नही किया। अत: जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने उक्त आवेदन पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अत: नक्शमबंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो

सेवामें,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 153/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

भूराराम वगैरा बनाम नागजी वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय दिनांक – 22/07/24

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटिया भू.अ.नि. क्षेत्र सोनडी के मौजा धोलकिया के खेत खसरा संख्या 706/329 रकबा 2.9137 हैक्टेयर** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्राथींगण को जवाब के अनेक अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटिया भू.अ.नि. क्षेत्र सोनडी के मौजा धोलकिया के खेत खसरा संख्या 706/329 रकबा 2.9137 हैक्टेयर** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/07/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

22/7/24

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. भूराराम पुत्र जामाराम 2. सारंगराम पुत्र जामाराम जातियान–भील निवासीयान–धोलकीया तहसील सेडवा जिला बाडमेर	बनाम	1. नागजी पुत्र शेम्भू 2. पताराम पुत्र शेम्भू 3. पाबुराम पुत्र शेम्भू 4. भीमा पुत्र खेता 5. मावा पुत्र भेराराम 6. सुरा पुत्र भेराराम 7. सामा पुत्र भेराराम 8. सिणगारी पत्नी भेराराम 9. चुनी देवी पत्नी पाबुराम 10. चिरमीदेवी पत्नी नागजीराम 11. जीवाराम पुत्र मनजी जातियान–भील निवासीयान–धोलकीया तहसील–सेड़वा, जिला बाड़मेर 12. हीरा पुत्र अलसा 13. खीया पुत्र अलसा 14. सुखराम पुत्र अलसा 15. केशा पुत्र देवा 16. पुरखा पुत्र देवा 17. भूरा पुत्र देवा 18. रामु पुत्र देवा 19. चुना पुत्र तेजा 20. दुर्गा पुत्र तेजा 21. लक्षमण राम पुत्र केशरा राम जातियान–जाट निवासीयान–धोलकीया तहसील–सेड़वा, जिला बाडमेर। 22. श्रीमान तहसीलदार–सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 153/2024

दिनांक : 22/07/24

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटिया भू. अ.नि. क्षेत्र सोनडी के मौजा धोलकिया के खेत खसरा संख्या 706/329 रकबा 2.9137 हैक्टेयर** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(सत्यमेव जयते) उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

22/7/24
(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2024/2252-55

दिनांक 29/07/24

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी भूराराम पुत्र जामाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण नागजी पुत्र शेम्भू वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

29/7/24
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा